"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2017—— कार्तिक 2, शक 1939

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्रमांक -01/3/निर्वा. नामा./पुनरीक्षण/2017-18/1680.—— छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01-01-2018 के संदर्भ में आयोजित निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिये भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 23/NOT/ECI/FUNC/ERD-ER/2017 (Vol. II), दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 के अनुसरण में जारी अधिसूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(सुब्रत साहू)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्टूबर 2017 — 1 कार्तिक, 1939 (शक)

अधिसूचना

संख्या 23/अधि./ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी-ईआर/2017 (खंड II).— यत:, निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र संख्या 23/अधि./ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी-ईआर/2017 (खंड II) दिनांक 23 अगस्त, 2017 के जरिए 01-01-2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची की घोषणा कर दी थी; और

यत:, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 23 अक्टूबर, 2017 से 22 नवंबर, 2017 तक नियत की गई थी; और

यत:, प्रारूप नामावलियां यथा-निर्धारित 23 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित की गई थी; और

यत:, निर्वाचन आयोग ने राज्य में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण के चल रहे कार्य की समीक्षा की है; और

यत:, निर्वाचन आयोग ने, ऐसी समीक्षा करने पर, निर्णय लिया है कि दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 नवंबर, 2017 तक बढ़ा दी जानी चाहिए ताकि चल रहे सार पुनरीक्षण के भीतर एक विशेष जॉच अभियान आरंभ किया जा सके जिसमें बूथ लेवल अधिकारी इस प्रयोजन के लिए घर-घर का दौरा करेंगे;

अब, इसलिए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग द्वारा 01-01-2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के चल रहे विशेष सार पुनरीक्षण के लिए राज्य में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 नवंबर, 2017 को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा इस तारीख तक बढ़ाई जाती है.

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 23rd October 2017 —1 Kartika 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 23/NOT/ECI/FUNC/ERD-ER/2017 (Vol. II).—Whereas, the Election Commission had announced the schedule for Special Summary Revision of electoral rolls in the State of Chhattisgarh with reference to 01-01-2018 as the qualifying date vide its letter No. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2017 (Vol. II) dated 23rd August, 2017; and

Whereas, the period of filing claims and objections was fixed from 23rd October, 2017 to 22nd November, 2017; and

Whereas, the draft rolls were published on 23rd October, 2017 as scheduled; and

Whereas, the Election Commission has reviewed the ongoing exercise of Special Summary Revision of Electoral Rolls in the State; and

Whereas, the Election Commission has, on such review, decided that the period of filing claims and objections in the State should be extended up to 30th November, 2017, so that a Special Verification Drive within the ongoing Summary Revision can be undertaken in which Booth Level Officers would visit house to house for the purpose;

Now, therefore, the Election Commission, in exercise of the powers conferred by the proviso to Rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960, hereby extends the period for filing claims and objections in the State upto and including 30th November, 2017 for ongoing Special Summary Revision of electoral rolls with reference to 01-01-2018 as the qualifying date.

By Order,

Sd/-
(Narendra N. Butolia)
Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.